राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

चैत्र 19, सोमवार, शाके 1940–अप्रेल 9, 2018
Chaitra 19, Monday, Saka 1940–April 9, 2018

भाग 4 (ग)
उप–खण्ड (II)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 28, 2018

एस.ओ.14 :–विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्या 39) की धारा 29 (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियमों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :– (1) इन विनियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2018 है। (2) ये इनके राज–पत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. **विनियम 41 (1) का संशोधन इस प्रकार है** :–
राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियम 41(1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तः स्थापित किया जायेगा;

परंतु यह कि 10,000/– रू. प्रतिमाह तक के समस्त लघुव्यय पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और यथास्थिति पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर द्वारा अपने स्तर पर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर के अनुमोदन के बिना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विहित मदों के अनुसार (4(ग) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,) की निधि से किये जायेंगे।

3. **विनियम 13 के उपविनियम 3 का संशोधन** :– राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियम 13 के विद्यमान

उप विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

आनुसंगिक लघु व्यय जैसे कि, न्यायालय फीस, स्टाम्प, दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यय एवं आकस्मिक व्यय इत्यादि की पूर्ति करने के प्रयोजनार्थ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की लागत निधि में से 10,000/– रू. का स्थायी अग्रिम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव के नियंत्रणाधीन रखा जायेगा।

4. **विनियम 8 के उपविनियम 3 का संशोधन** :– राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियम 8 के विद्यमान उपविनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

आनुसंगिक लघु व्यय जैसे कि, न्यायालय फीस, स्टाम्प, दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यय एवं आकस्मिक व्यय इत्यादि की पूर्ति करने के प्रयोजनार्थ, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर की लागत निधि में से 10,000/– रू. का स्थायी अग्रिम राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर के पूर्णकालिक सचिव के नियंत्रणाधीन रखा जायेगा।

5. **विनियम 17 के उपविनियम 3 का संशोधन**– राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के विनियम 17 के उपविनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

आनुसंगिक लघु व्यय जैसे कि न्यायालय फीस, स्टाम्प और दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यय एवं आकस्मिक व्यय इत्यादि की पूर्ति के प्रयोजनार्थ तालुका विधिक सेवा समिति की लागत निधि में से 5,000/– रू. का स्थायी अग्रिम अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति के नियंत्रणाधीन रखा जायेगा।

आज्ञा से,
एस. के. जैन
सदस्य सचिव,
राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
NOTIFICATION
Jaipur, March 28, 2018

S.O.14 .-The Rajasthan State Legal Services Authority, in exercise of the powers conferred on it under section 29-A of the Legal Services Authority Act, 1987 (Act No. 39 of 1987) hereby makes the following amendments in the regulations in Rajasthan State Legal Services Authority Regulations, 1999, namely:-

1. **Short title & commencement:-** (1) These regulations may be called the Rajasthan State Legal Services Authority (Amendment) Regulations, 2018.

   (2) They shall be deemed to have come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Regulation 41(1) as follows:-** After Regulation 41(1) of Rajasthan State Legal Services Authority Regulations] 1999 the following proviso shall be inserted:-

   Provided that, all the minor expenditures, up to ten thousands rupees per month, shall be met out from the fund of 4 C (Legal Services Authorities Act) in accordance to the heads prescribed by National Legal Services Authority by the Full Time Secretary, District Legal Services Authority and Full Time Secretary, Rajasthan High Court Legal Services Committee, Jodhpur/ Jaipur at his/ her own level as the case may be without the approval of the Chairman, District Legal Services Authority and Chairman, Rajasthan High Court Legal Services Committee, Jodhpur/ Jaipur.

3. **Amendment of sub-Regulation 3 of regulation 13:-** The existing sub-regulation 3 of regulation 13 of the Rajasthan State Legal Services Authority Regulation, 1999 shall be substituted by the following, namely:-

   (3) For the purpose of meeting incidental minor expenditures such as court fee, stamps and expenditures necessary for obtaining copies of documents & contingent expenditures etc. a permanent advance of rupees ten thousand from cost fund of District Legal Services Authority shall be placed at the disposal of the Full Time Secretary of the District Legal Services Authority.

4. **Amendment of sub-Regulation 3 of regulation 8:-** The existing sub-regulation 3 of regulation 8 of the Rajasthan State Legal Services Authority Regulation, 1999 shall be substituted by the following, namely:-

(3) For the purpose of meeting incidental minor expenditures such as court fee, stamps and expenditures necessary for obtaining copies of documents & contingent expenditures etc. a permanent advance of rupees ten thousand from cost fund of Rajasthan High Court Legal Services Committee shall be placed at the disposal of the Full Time Secretary of Rajasthan High Court Legal Services Committee, Jodhpur/ Jaipur.

5. **Amendment of sub-Regulation 3 of regulation 17:-** The existing sub-regulation 3 of regulation 17 of the Rajasthan State Legal Services Authority Regulation, 1999 shall be substituted by the following, namely:-

(3) For the purpose of meeting incidental minor expenditures such as court fee, stamps and expenditures necessary for obtaining copies of documents & contingent expenditures etc. a permanent advance of rupees five thousand from cost fund of Taluka Legal Services Committee shall be placed at the disposal of the Chairman, Taluka Legal Services Committee.

By Order,
S.K. Jain,
Member Secretary,
Rajasthan State,
Legal Services Authority,
Jaipur.

Government Central Press, Jaipur.